न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 28/2021

राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व. श्रीनारायण शर्मा निवासी मकान नं. 404 माया सदन सिविल लाईन टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 18—11—2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23—07—2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :—

1 पैशन प्रकरण में पेशन विभाग अजमेंर को भिजवाये गये पत्र की प्रति
2 पैशन विभाग द्वारा आक्षेप लगाकर पैशन प्रकरण को वापस भिजवाये गये पत्र की प्रति
3 पैशन कुलक की प्रति

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1194 दिनांक 28—9—2021 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र कमांकः एफ.1( )स्था. विविध/2021/6275 दिनांक 22—11—2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना स्वंय अपीलार्थी ने इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करली है। जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayi Gopal
Date: 2023.02.04 16:52:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक